न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-14/2015

1- शान्ति प्रकाश शर्मा
2- पुरूषोत्तम शर्मा
3- श्रवणकुमार शर्मा

पुत्र रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- जिला कलेक्टर सीकर ।
2- तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
3- पटवारी 0000 पटवार हल्का मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4- विकास अधिकारी पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर ।
5- कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग पलसाना सीकर ।
6- ग्राम पंचायत मण्डा मदनी जरिये सरपंच ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14-10-2014 द्वारा जिला कलेक्टर, सीकर ।

--0--

उपस्थिति-

1- श्री नरेशकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री पोकरमल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 23.1.2018

सं

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत ने तहसीलदार उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ की अभिशंधा के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अनुसरण में ग्राम मण्ढा तहसीलxx दांतारामगढ स्थित भूमि खसरा नं0 123। रकबा 0.23 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.07 हैक्टर उच्च जलाशय (पानी की टंकी) निमार्ण हेतु जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग को आंवटित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया तथा ना ही अपीलान्ट को कोई सूचना दी ।अपीलान्ट को गैर कानूनी ढंग से बेदखल कर उसके कब्जे में दखल अन्दाजी करने बाबत आदेश पारित कर कानूनी भूल की है । विवादित आराजी ख0नं0 123। रकबा 0.23 हैक्टर में से अपीलान्ट का 0.15 हैक्टर पर कदीमी से कब्जा काश्त है । जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा अपीलान्ट को 30-9-2011 को बेदखल किये जाने के आदेश देने के बाद उसकी अपील अति0 जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष पेश की जिसे अति0 जिला कलेक्टर सीकर ने स्वीकार कर अपीलान्ट का कब्जा मानते हुये पुनः तहसीलदार के प्रकरण रिमाण्ड किया गया ।जो अभी भी विचाराधीन है । जिसका निर्णय अभी तक अन्तिम रूप से नहीं हुआ है ।अदालत मातहत ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर अपना निर्णय दिया है ।विवादित आराजी में से 0.07 हैक्टर जलाशय हेतु आंवटित की गई एवं उक्त भूमि में से ही 0.05 हैक्टर भूमि ग्राम पंचायत को पटवार भवन हेतु दी गई। जिसकी पृथक से अपील की गई है ।इस प्रकार उक्त भूमि में से कुल 0.12 हैक्टर भूमि आंवटित किये जाने से अपीलान्ट का हक प्रभावित होता है ।अति0 जिला कलेक्टर सीकर के यहां अपील विचाराधीन होने के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पक्षकार होने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो खारिज हुआ । उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने देषतावश जानकारी होने के पश्चात भी सही तथ्यों को छुपाकर अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया।अर्थात वस्तुस्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया । जबकि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर 0.15 हैक्टर पर कब्जा काश्त है। मौके पर आंवटन हेतु आराजी

उपलब्ध नहीं है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने में गैर कानूनी कार्यवाही कर ,ख0नं0 1231 में से 0 07 हैक्टर भूमि जलाशय के लिये एवं 0.05 हैक्टर भूमि पटवार धर मण्टा के भवन निर्माण हेतु आंवटित की है ।जबकि मौके पर इतनी भूमि खाली ही नहीं है । उक्त आराजी में 0.15 हैक्टर भूमि पर अपीला -ट काबिज है । जिसके विरूद्ध तहसीलदार के यहां राज0 भूम-राजस्व अधिनियम की धारा-91 की कार्यवाही विचाराधीन है । अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील सख्या-13/2015

1- शान्तिप्रकाश शर्मा आदि --बनाम--- उप खण्ड मजिस्ट्रेट आदि

उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित आराजी समान होने से उक्त दोनों अपीलों की बहस एक साथ सुने जाने का उभयपक्षों ने निवेदन किया जिस पर दोनों अपीलो की बहस एक साथ सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी ख0नंम्बर 1231 रकबा 0 23 हैक्टर पर तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर दिनांक 3-9-2011 को बेखल किये जाने का आदेश दिया जिस पर अपीलांट ने तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध विद्वान अपर जिला कलेक्टर के यहां अपील पेश की जिसमें विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा पुराना मानकर मेरी अपील स्वीकार कर प्रकरण नायब तहसीलदार पलसाना को रिमाण्ड की गई । जहां पर यह अपील विचाराधीन है।इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का 0 15 हैक्टर पर कब्जा है । अदालत मातहत ने 0 07 हैक्टर जलाशय के लिये 0 05 हैक्टर पटवार 0000 भवन निर्माण के लिये इस प्रकार कुल 0 12 हैक्टर भूमि आवंटित की है।जबकि उक्त खसरा नम्बर में अपीलान्ट के कब्जे के बाद में इस खसरा नम्बर मे आवंटन योग्य भूमि शेष ही नही रहती है ।अदालत मातहत मे तहसीलदार

मौके की जांच किये बिना अपनी रिपोर्ट की है ।अपीलान्ट विवादित आराजी का प्रभावित पक्षकार है। अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही होने पर धारा-5 एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी के साथ अपील पेश की है । अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

राजकीय विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सिवायत राजकीय भूमि है । जिस पर अपीलान्ट को किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं है ।मौके पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है । तहसीलदार ने भूमि आंवटन बाबत चैक लिस्ट में जांच आंवटन की सिफारिश की है। तहसीलदार की सिफारिश के बाद उप खण्ड अधिकारी ने मौके की जांच कर उन्होने भी आंवटन की सिफारिश की है अदालत मातहत ने आंवटन नियमों की शर्तों को पालना करते हुये आवंटन आदेश किया गया है।अपीलान्ट विवादित आराजी से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है । अपीलान्ट को अपील जाने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत मण्ढा मदनी ने विवादित आराजी को आंवटन के लिये अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है । भूमि आंवटन बाबत चैक लिस्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार दातारामगढ ने जांच कर उक्त आराजी को आंवटन किये जाने की सिफारिश की है । नकल जमाबन्दी सं0- 2068 से 2071 में खसरा नं0 123। रकबा 0 23 हैक्टर बारानी तृतीय चालू पडत या एक वर्ष जुलाई हेतु दर्ज है । विवादित आराजी राजकीय भूमि है । जिस के आवंटन की सिफारिश तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने की है तथा सरपंच ग्राम पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है । इन सब तथ्यों पर गौर करने के बाद विवादित आराजी का आंवटन किया गया है ।अपीलान्ट अदालत मातहत के आदेश से प्रभावित नहीं है ।

अत: अदालत मातहत के आदेश में कोई हस्तक्षेप न कर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना उचित माने हैं ।

अपीलान्ट की अपील प्रभावित पक्षकार नहीं होने पर खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर सीकर का आदेश दिनांक 14-10-2014 यथावत रखा जाता है । निर्णय की उक्त प्रति अपील संख्या-13/2015 में सलग्न की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.1.2018 को सुनाया गया ।

23/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर